



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 फाल्गुन, 1943 (श०)

संख्या - 64 राँची, बुधवार,

23 फरवरी, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

15 फरवरी, 2022

संख्या-8/नीति-01/2015 का० 867--‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-

- (1) यह नियमावली “झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2022” कहलाएगी ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
- (3) यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14, स्पष्टीकरण (2) के खण्ड-iv एवं खण्ड-vi में निम्नांकित प्रावधान है :-

“(खण्ड-IV) असंचयात्मक प्रभाव से वेतन वृद्धियों पर रोक-ऐसी शास्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी, अर्थात् आदेश निर्गत होने की तिथि के पश्चात देय वेतन वृद्धियाँ रोक दी जायेंगी। यह आवश्यक होगा कि अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आदेश में रोकी गयी वार्षिक वेतनवृद्धियों की संख्या स्पष्ट रूप में अंकित की जाए। शास्ति आदेश की संसूचना के पश्चात अगली वेतन वृद्धि की देय तिथि से वेतन वृद्धि रोक दी जायेगी। उदाहरणार्थ, यदि सरकारी सेवक की दो वेतन वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से रोक दी जाती हैं तो इसका अर्थ होगा कि शास्ति आदेश की संसूचना की तारीख के पश्चात अगली वेतनवृद्धि की देय तारीख से एक साल तक प्रथम वेतन वृद्धि तथा दूसरी देय तारीख से एक साल तक दूसरी वेतन वृद्धि रोक दी जायेंगी। चूँकि शास्ति असंचयात्मक प्रभाव से है तो रोकी गयी वेतन वृद्धियों के पश्चात तीसरी वेतनवृद्धि की देय तारीख से रोकी गयी दोनों वेतन वृद्धियों को जोड़ते हुए तीसरी वेतन वृद्धि सहित वेतन का भुगतान किया जाएगा किन्तु रोकी गयी अवधि का वित्तीय लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

इस शास्ति की प्रवर्तन अवधि के दौरान, अर्थात् जितने वर्षों के लिए वेतन वृद्धि रोकी गई है, किसी प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। केवल शास्ति अवधि की समाप्ति के बाद ही देय तारीख से प्रोन्नति पर विचार करना संभव होगा।

(खण्ड-VI) संचयात्मक प्रभाव से वेतनवृद्धियों पर रोक-ऐसी शास्ति आदेश निर्गत होने की तारीख से प्रभावी होगी अर्थात् आदेश निर्गत होने के पश्चात देय वेतन वृद्धियाँ रोक दी जायेंगी। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आदेश में रोकी गयी वार्षिक वेतन वृद्धियों की संख्या का स्पष्ट रूप में उल्लेख करना आवश्यक होगा। शास्ति आदेश की संसूचना के पश्चात अगली वेतन वृद्धि की देय तारीख से वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी। उदाहरणार्थ, यदि दो वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती हैं तो इसका अर्थ होगा कि शास्ति आदेश की संसूचना के पश्चात एक वर्ष तक अगली वेतन वृद्धि की देय तारीख से प्रथम वेतन वृद्धि और अगले एक वर्ष तक देय द्वितीय वेतन वृद्धि की तारीख से द्वितीय वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी। ऐसे वर्षों की संख्या जितने कि वेतन वृद्धियाँ रोकी गयी हैं, पर संचयात्मक प्रभाव होगा, चूँकि शास्ति संचयात्मक प्रभाव से है, इसलिए रोकी गयी वेतन वृद्धियाँ सम्पूर्ण सेवा अवधि के लिए रोक दी जायेंगी। ऐसी परिस्थितियों में रोकी गयी दो वेतन वृद्धियों के पश्चात तीसरी वेतन वृद्धि भी देय तारीख से रोकी गयी दोनों वेतन वृद्धियों को जोड़े बिना वेतन वृद्धि के साथ वेतन का भुगतान किया जाएगा।

इस शास्ति की प्रवर्तन अवधि के दौरान अर्थात् जितने वर्षों के लिए वेतन वृद्धि रोकी गयी है, किसी प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। केवल शास्ति अवधि की समाप्ति के पश्चात ही देय तारीख से प्रोन्नति पर विचार करना संभव होगा।”

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

“(खण्ड-IV) असंचयात्मक प्रभाव से वेतन वृद्धियों पर रोक-ऐसी शास्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी, अर्थात् आदेश निर्गत होने की तिथि के पश्चात देय वेतन वृद्धियाँ रोक दी जाएगी। यह आवश्यक होगा कि अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आदेश में रोकी गयी वार्षिक वेतन वृद्धियों की संख्या तथा वर्षों को स्पष्ट रूप में अंकित की जाए। शास्ति आदेश की संसूचना के पश्चात अगली वेतन वृद्धि की देय तिथि, **पहली जनवरी अथवा पहली जुलाई जो लागू हो**, से वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी, यथा; यदि सरकारी सेवक की दो वार्षिक वेतन वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से रोक दी जाती हैं तो इसका अर्थ होगा कि शास्ति आदेश की संसूचना की तारीख के पश्चात अगली वेतन वृद्धि की देय तारीख, **पहली जनवरी अथवा पहली जुलाई जो लागू हो**, से एक साल तक प्रथम वेतन वृद्धि तथा दूसरी देय तारीख से एक साल तक दूसरी वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी। चूँकि शास्ति असंचयात्मक प्रभाव से है तो रोकी गयी वेतन वृद्धियों के पश्चात तीसरी वेतन वृद्धि की देय तारीख से रोकी गयी दोनों वेतन वृद्धियों को जोड़ते हुए तीसरी वार्षिक वेतन वृद्धि सहित वेतन का भुगतान किया जाएगा किन्तु रोकी गयी अवधि का वित्तीय लाभ अनुमान्य नहीं होगा ।

इस शास्ति की प्रवर्तन अवधि के दौरान, अर्थात् जितने वर्षों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है, किसी प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। केवल शास्ति अवधि की समाप्ति के बाद ही प्रोन्नति पर विचार किया जा सकेगा ।

(खण्ड-VI) संचयात्मक प्रभाव से वेतन वृद्धियों पर रोक-ऐसी शास्ति आदेश निर्गत होने की तारीख से प्रभावी होगी अर्थात् आदेश निर्गत होने के पश्चात देय वेतन वृद्धियाँ रोक दी जाएगी। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आदेश में रोकी गयी वार्षिक वेतन वृद्धियों की संख्या तथा वर्षों को स्पष्ट रूप में उल्लेख करना आवश्यक होगा। शास्ति आदेश की संसूचना के पश्चात अगली वेतन वृद्धि की देय तारीख, **पहली जनवरी अथवा पहली जुलाई जो लागू हो**, से वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी, यथा; यदि दो वार्षिक वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती हैं तो इसका अर्थ होगा कि शास्ति आदेश की संसूचना के पश्चात एक वर्ष तक अगली वेतन वृद्धि की देय तारीख, **पहली जनवरी अथवा पहली जुलाई जो लागू हो**, से प्रथम वेतन वृद्धि और अगले एक वर्ष तक देय द्वितीय वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख से द्वितीय वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी। ऐसे वर्षों की संख्या जितने की वेतन वृद्धियाँ रोकी गयी हैं, पर संचयात्मक प्रभाव होगा, चूँकि शास्ति संचयात्मक प्रभाव से है, अतएव रोकी गयी वार्षिक वेतन वृद्धियाँ सम्पूर्ण सेवा अवधि के लिए रोक दी जाएगी ।

ऐसी परिस्थितियों में रोकी गयी दो वार्षिक वेतन वृद्धियों के पश्चात तीसरी वार्षिक वेतन वृद्धि भी देय तारीख से रोकी गयी दोनों वेतन वृद्धियों को जोड़े बिना वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ वेतन का भुगतान किया जाएगा ।

इस शास्ति की प्रवर्तन अवधि के दौरान, अर्थात् जितने वर्षों के लिए वेतन वृद्धि रोकी गई है, किसी प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। केवल शास्ति अवधि की समाप्ति के बाद ही प्रोन्नति पर विचार किया जा सकेगा।”

3. झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 (2) में निम्नांकित प्रावधान है :-

“जहाँ कहीं अनुशासनिक प्राधिकार की राय हो कि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध अवचार या कदाचार के किसी आरोप की सच्चाई के बारे में जाँच करने का आधार है, वहाँ वह स्वयं इसकी जाँच कर सकेगा अथवा इसके लिए इस नियमावली के अधीन कोई प्राधिकार नियुक्त कर सकेगा।”

के पश्चात् निम्नांकित वाक्य अंतःस्थापित किया जाता है :-

“उक्त कोई प्राधिकार के अन्तर्गत सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारी भी हो सकता है।”

4. उपर्युक्त वाक्य अन्तःस्थापन के फलस्वरूप झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2021 का नियम-17 (2) संशोधित रूप से निम्नवत् पढ़ा जायेगा :-

“जहाँ कहीं अनुशासनिक प्राधिकार की राय हो कि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध अवचार या कदाचार के किसी आरोप की सच्चाई के बारे में जाँच करने का आधार है, वहाँ वह स्वयं इसकी जाँच कर सकेगा अथवा इसके लिए इस नियमावली के अधीन कोई प्राधिकार नियुक्त कर सकेगा। **उक्त कोई प्राधिकार के अन्तर्गत सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारी भी हो सकता है।**”

5. झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-25 (1) में निम्नांकित प्रावधान है :-

“अपीलीय प्राधिकार (1) कोई सरकारी सेवक जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल है, जिसकी सरकारी सेवा समाप्त कर दी गई हो, नियम-24 में विनिर्दिष्ट आदेशों के विरुद्ध सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकार के समक्ष अपील कर सकेगा अथवा जहाँ ऐसा प्राधिकार विनिर्दिष्ट न हो वहाँ :-

(i) जहाँ ऐसा सरकारी सेवक जो सिविल पद समूह-क या समूह-ख का पदधारी हो या था-

(क) यदि आदेश अधीनस्थ प्राधिकार द्वारा दिया गया हो, तो नियुक्ति प्राधिकार के समक्ष अपील कर सकेगा; अथवा

(ख) यदि आदेश नियुक्ति प्राधिकार अथवा नियुक्ति प्राधिकार से ठीक उपरिस्थ किसी अन्य प्राधिकार द्वारा दिया गया हो, तो आदेश देने वाले प्राधिकार से ठीक उपरिस्थ प्राधिकार के समक्ष अपील कर सकेगा ।

(ii) जहाँ ऐसा सरकारी सेवक जो सिविल पद समूह-ग या समूह-घ का पदधारी हो या था, आदेश करने वाले प्राधिकार से ठीक उपरिस्थ प्राधिकार के समक्ष अपील कर सकेगा ।”

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

“अपीलीय प्राधिकार (1) कोई सरकारी सेवक जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल है, जिसकी सरकारी सेवा समाप्त कर दी गई हो, नियम-24 में विनिर्दिष्ट आदेशों के विरुद्ध सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकार के समक्ष अपील कर सकेगा अथवा जहाँ ऐसा प्राधिकार विनिर्दिष्ट न हो वहाँ :-

(i) जहाँ ऐसा सरकारी सेवक जो सिविल पद समूह-क का पदधारी हो या था, संसूचित शास्ति के विरुद्ध महामहिम राज्यपाल के समक्ष अपील कर सकेगा ।

(ii) जहाँ ऐसा सरकारी सेवक जो सिविल पद समूह-ख, समूह-ग या समूह-घ का पदधारी हो या था, आदेश करने वाले प्राधिकार/नियुक्ति प्राधिकार से ठीक उपरिस्थ प्राधिकार के समक्ष अपील दायर कर सकेगा, यथा- जहाँ नियुक्ति प्राधिकार विभागाध्यक्ष/निदेशक हों, के आदेश के विरुद्ध विभागीय सचिव के समक्ष। जहाँ नियुक्ति प्राधिकार विभागीय सचिव हों, तो उनके आदेश के विरुद्ध विभागीय मंत्री के समक्ष ।”

6. झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-25 (3) में निम्नांकित प्रावधान है :-

“जहाँ आदेश पारित करने वाला व्यक्ति अपनी पश्चातवर्ती नियुक्ति के कारण या अन्यथा उस आदेश के सम्बन्ध में अपीलीय प्राधिकार हो जाए तो उस आदेश के विरुद्ध कोई अपील उसके ठीक उपरिस्थ प्राधिकार के समक्ष अथवा सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से प्राधिकृत प्राधिकार के समक्ष की जाएगी ।”

के पश्चात् 25 (3)(i), (ii) एवं (iii) निम्नवत् अंतःस्थापित किया जाता है :-

“जहाँ आदेश पारित करने वाला व्यक्ति अपनी पश्चातवर्ती नियुक्ति के कारण या अन्यथा उस आदेश के सम्बन्ध में अपीलीय प्राधिकार हो जाए तो उस आदेश के विरुद्ध कोई अपील उसके ठीक उपरिस्थ प्राधिकार के समक्ष अथवा सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से प्राधिकृत प्राधिकार के समक्ष की जाएगी ।

राज्य सरकार के सरकारी सेवकों द्वारा किए गए अपील का निष्पादन निम्न प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा :-

(i) जिन मामलों में मुख्यमंत्री के स्तर से दण्ड/सजा की स्वीकृति दी गई है, वैसे मामलों में अपील आवेदन पर विभागीय संलेख के माध्यम से प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा, मंत्रिपरिषद के निर्णय से अपील को निस्तारित किया जाएगा ।

(ii) यदि मूल दण्ड मंत्रिपरिषद के स्तर से स्वीकृत की गई हो, तो अपील आवेदन पर विभागीय संलेख के माध्यम से सभी बिन्दुओं की विवेचना के साथ प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विचारार्थ ले जाया जाएगा। मंत्रिपरिषद के निर्णय पर आधारित अनुशंसा महामहिम राज्यपाल को भेजी जाएगी। उनके आदेशोपरान्त अपील निष्पादित की जाएगी ।

(iii) वैसे सरकारी सेवक, जो सिविल पद समूह-ख, ग एवं घ के पदधारी हों, के द्वारा किए गए अपील, आदेश करने वाले प्राधिकार/नियुक्ति प्राधिकार के ठीक उपरिस्थ प्राधिकार के स्तर से निष्पादित समझा जाएगा ।”

7. झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 25 (2) में निम्नांकित प्रावधान है :-

“सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी, तथापि ज्ञापन के रूप में पुनर्विचार अर्जी दाखिल की जा सकेगी ।”

को विलोपित किया जाता है ।

8. विभागीय संलेख ज्ञापांक 191 दिनांक 17.01.2022 के द्वारा “झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016” में संशोधन करते हुए “झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2022” के गठन के प्रस्ताव एवं अधिसूचना प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 10.02.2022 में मद संख्या-06 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,

सरकार के प्रधान सचिव ।
